

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/आ.प्र./2019/ 12735-39

जयपुर, दिनांक 6-10-2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- कोरोना वाईरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला कार्यालयों में नियोजित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को नियोजित करने बाबत।

514
19-10-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत COVID-19 Virus फैलने के मध्यनजर राज्य में स्क्रीनिंग/चैकिंग एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिये जहां भी मेडिकल या पेरामेडिकल स्टाफ की कमी हो उन जिलों यथा जोधपुर, जयपुर एवं अलवर जिले में 30-30 स्वयंसेवक, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा जिले में 20-20 स्वयंसेवक एवं शेष जिलों में 10-10 प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आगामी आदेशों तक नियोजित करने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

जिला कलक्टरों द्वारा इन स्वयंसेवकों को तैनात किये जाने वाली अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार "आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लेखा मद 2245-02-282-(07)-[01]-22 सामग्री प्रदाय" से किया जायेगा।

भवदीय

राज्य
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
3. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राजस्थान।

राज्य
संयुक्त शासन सचिव

आदेश

श्रीमान शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.8(1) आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./2019/12735-39 दिनांक 06.10.2020 की पालना में कोविड-19 फैलने के मध्यनजर स्क्रीनिंग/चैकिंग एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिये राजसमन्द जिले में 10 प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव अनुसार जिला चिकित्सालय, राजसमन्द व सामान्य चिकित्सालय, नाथद्वारा में कार्य करने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाता है। उक्त नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किये जाने वाली अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार " आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लेखा मद 2245-02-282-(07)-(01)-22 सामग्री प्रदाय" से किया जावेगा

यह आदेश दिनांक 01.11.2020 से 30.11.2020 तक प्रभावी होगा ।

क्र.स.	नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक का नाम व पिता का नाम	सदस्य संख्या	मोबाईल	वि.वि.
1	श्रीमती हंसा/कैलाश पीपलीवात	81	8239947230	जिला चिकित्सालय, राजसमन्द
8	श्री अयुब मोहम्मद/गनी मोहम्मद	70	9588813788	
3	श्री महावीरसिंह/शिवसिंह राठौड़	104	9950270393	
4	श्री मुकेश/किशनलाल कुमावत	68	8114409142	उपखण्ड कार्यालय राजसमन्द
5	श्री भवानीशंकर/रतनलाल कुमावत	109	8503980925	
6	श्री संतोष /महावीर प्रसाद शर्मा	79	9672570442	जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द
7	श्री रामसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह देवडा	55	9521255649	सामान्य चिकित्सालय, नाथद्वारा।
8	श्री नरपतसिंह पुत्र श्री मानसिंह चुण्डावत	95	9928966529	
9	श्री चन्द्रेश व्यास/दिलीप	46	9829329900	
10	श्री शान्तनु सनादय/कमलेश	45	6378094809	

उपरोक्त स्वयं सेवक ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहें तथा बिना सूचना अनुपस्थित नही रहेंगे ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
नियन्त्रक(कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा,
राजसमन्द

दिनांक: 28-10-2020

क्रमांक : प014()ना0सू0/इओसी/सहा0/2018-19/3976-4013

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर ।
2. उप निदेशक, निदेशालय,नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर संभाग उदयपुर ।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द
5. अति. जिला कलक्टर राजसमन्द
6. उपखण्ड अधिकारी, आमेट/भीम/देवगढ/कुम्भलगढ/नाथद्वारा/ रेलमगरा/राजसमन्द
7. तहसीलदार आमेट/भीम/देवगढ/कुम्भलगढ/नाथद्वारा/ रेलमगरा/राजसमन्द/ गढबोर/खमनोर
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी राजसमन्द ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द ।
10. प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय, राजसमन्द ।
11. प्रभारी अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, नाथद्वारा ।
12. सम्बन्धित श्री _____

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
नियन्त्रक(कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा,
राजसमन्द